

## Public Notice

Licence No. 211 of 2007 dated 01.02.2007 was granted in favour of individual land owners in collaboration with BG Agritech Pvt. Ltd. in joint venture with Ansal Properties and Infrastructure Ltd. for development of group housing colony over an area measuring 10.90 acres in the revenue estate of village Bhatoli, Sector 22, Yamuna Nagar. As the licensee has failed to deposit the outstanding dues on account of EDC and also failed to get the licence renewed beyond 31.08.2009. Further, the BG deposited on account of EDC and IDW also stands lapsed as on 03.07.2010, therefore, the aforesaid licence has been cancelled vide this office memo no. 25525-534 dated 04.09.2018 and the administration of this colony has been taken over by Director, Town & Country Planning, Haryana.

The colonizer has been restrained from selling of any unsold property in the said colony. The general public is advised not to indulge in any sale/purchase/transaction in respect of aforesaid licenced colony with above named developer. For further clarification, they may contact the office of Senior Town Planner, Panchkula/District Town Planner, Yamuna Nagar on any working day.

Place: Chandigarh  
Dated: 24.09.2018

-Sd/-  
Jitender Sihag  
Chief Town Planner,  
Department of Town & Country Planning, Haryana

# ग्राम एवं नगर आयोजना विभाग, हरियाणा

एस0 सी0 ओ0 न0 71-75, द्वितीय तल, सैक्टर-17 सी, चण्डीगढ़

फोन: 0172-2549349 [ईमेल:tcpharyana7@gmail.com](mailto:tcpharyana7@gmail.com)

---

## सार्वजनिक सूचना

लाईसैंस नं0 211 आफ 2007 दिनांक 01.02.2007 बी. जी. एग्रीटैक प्रा. लि. व अंसल प्राटीज एण्ड इन्फ्रास्टक्चर्ज लि. को सयुक्त रूप से सैक्टर-22, यमुनानगर में आवासीय ग्रुप हाऊसिंग कालोनी हेतु 10.90 एकड भूमि में प्रदान किया गया था जो कि दिनांक 31.01.2009 तक वैध था । बकाया ई0डी0सी0 राशी जमा ना करने, लाईसैंस का नवीकरण ना करवाने व ई0डी0सी0 तथा आई0 डी0 डब्ल्यू की बैंक गारन्टीयों की वैधता समाप्त होने के कारण यह लाईसैंस इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 22525-534 दिनांक 04.09.2018 के तहत रद्द कर दिया गया है तथा इस कालोनी के प्रशासन को निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया है।

कालोनाइजर को इस कालोनी में कोई भी प्रोपर्टी को बेचने से रोक दिया गया है। आम जनता को आगाह किया जाता है कि उक्त कालोनी की किसी भी प्रोपर्टी के लेन-देन/खरीद फरोख्त उक्त कालोनाइजर के साथ ना करें। अन्य अतिरिक्त जानकारी के लिए वरिष्ठ नगर योजनाकार पंचकूला/ जिला नगर योजनाकार यमुनानगर से सम्पर्क किया जा सकता है।

**-Sd/-**

(जितेन्द्र सिहाग)

मुख्य योजनाकार

ग्राम एवं नगर आयोजना विभाग

हरियाणा, चण्डीगढ़

दिनांक-24.09.2018

स्थान- चण्डीगढ़